ARYAVART SHODH VIKASH PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO. 299-302
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-7, No.-I, Issues-VIII YEAR- June-2017

73वें संविधान संशोधन के पश्चात् दलित महिलाओं की सामाजिक स्थिति

अंजू लता

शोध अध्येता– राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, (उ0प्र0) भारत

समानता का सिद्धान्त है कि विभिन्न वर्गों के साथ समानता का व्यवहार तभी किया जा सकता है जब समाज के सभी वर्ग समान धरातल पर खड़े हो अर्थात् समान स्तर वाले लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जा सकता है और यही सिद्धान्त दलितों के लिए किये जाने वाले आरक्षण की पृष्ठभूमि है। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् महिलाओं को आरक्षण दिये जाने के बाद भी अनुसूचित जाति व जनजाति विकास की दौड़ में काफी पीछे छूट गये हैं। हालांकि भारत वर्ष में लगभग सभी दलित जातियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। लेकिन दलित महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब है। स्वतंत्रता के 68 वर्ष के लम्बी अवधि के व्यतीत होने जाने के पश्चात् भी इस समुदाय का विकास आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस वंचित वर्ग को हमारे देश में कई नामों से जाना जाता है। कुछ इसे वंचित वर्ग कहते हैं तो कुछ दलित के नाम से सम्बोधित किया गया है। वैसे भारत में संवैधानिक स्तर पर इस वर्ग को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कहा जाता है।

दलित शब्द से अभिप्राय जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति या वर्ग जिसका समाज में अत्यन्त निम्न स्थान है जो उत्पीड़न का शिकार है। जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त निम्न है। अर्थात् अत्यन्त निम्न वर्ग ही दलित वर्ग कहलाता है।

सामान्यतया अनुसूचित जातियों को अस्पृष्य जातियाँ भी कहा जाता है। अस्पृश्यता का तात्पर्य है "जो छूने योग्य नहीं है"। अस्पृष्यता एक ऐसी धारणा है जिसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने, देखने और छाया पड़ने मात्र से अपवित्र हो जाता है।

इस सम्बन्ध में डॉ० के०एन० शर्मा ने लिखा है– "अस्पृष्य जातियाँ वे हैं, जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाये, उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े"।

आर0 एन0 सक्सेना ने इस बारे में लिखा है कि "ऐसे लोगों को अस्पृष्य माना जाये, जिसके छूने से हिन्दुओं को शुद्धि करना पड़े"।

यथार्थ के धरातल पर मौजूद भारतीय समाज में आज भी मनुष्य असमानता, अस्पृश्यता जैसी निम्न सोच का शिकार है। देश के विविध भागों में उत्पीड़न एवं दलित अत्याचार की घटनाएं होती रहतीं हैं। आरक्षण की बैशाखी के बाद भी दलित वर्ग हर क्षेत्र में पीछे हैं। दलित महिलायें अन्याय, शोशण और उत्पीड़न का शिकार हैं, आबादी का लगभग 16.5 प्रतिशत महिलायें दलित हैं, जो आज भी मौलिक अधिकारों (रोटी, कपड़ा, मकान एवं चिकित्सा) से वंचित हैं। जो घोर अशिक्षा, अंधविश्वास, उत्पीड़न और रूढ़ियों से ग्रस्त है तथा समाज में इन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है।

आज भी यह बहिस्कृत समाज भय, भूख, गरीबी, लाचारी तथा सरकारी भ्रष्टाचार के चलते नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। भारतीय संविधान इस बहिस्कृत अर्थात् भारतीय दलित समाज को बराबरी का दर्जा देने की बात तो करता है परन्तु वास्तविकता इससे कोसों दूर है यह मात्र कागजी कार्यवाही तथा समाचार–पत्रों की खबर बनकर रह गई है।

अर्नाल्ड टायनवी कहते हैं कि "भारत में रहने वाली दलित जातियाँ समाज में तो हैं लेकिन समाज के नहीं"। दलित महिलाओं की स्थिति तो और भी दयनीय है तथा शिक्षा से वंचित ये महिलायें अनेक सामाजिक एवं मनोदैहिक यातनायें भोग रहीं हैं। अतः भारत में सदियों से इन महिलाओं का शोशण हुआ है।

73वें संविधान संशोधन के पष्चात् दलित महिलाओं की स्थिति के अध्ययन से पूर्व यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो–

प्राचीन यूनानी दार्शनिक में प्लेटो ने महिला–पुरूष समानता को स्वीकार किया परन्तु उसी के शिष्य अरस्तू ने पुरूषों की तुलना में महिलाओं की हीनता पर बल देते हुए उन्हें दासों के समकक्ष रखा।

प्राचीन भारतीय गौरवग्रंथ 'मनुस्मृति' के अनुसार "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" (जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं)। महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में वैदिक युग को स्वर्ण–युग की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस युग में महिलाओं को सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रों में अत्यधिक अधिकार प्राप्त थे, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। उच्च कुल के स्त्रियों की स्थिति तो अच्छी थी किन्तु दलित महिलाओं की स्थिति असंतोशजनक बनी रही।

अतः उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में कुछ ह्रास हुआ। महाभारत काल में उल्लेख मिलता है कि उस युग में नारियों की स्थिति पुरूशों के समान थी परन्तु मनु परम्परा इसी काल में प्रचलित हुई। इसके अनुसार नारियों का

अनुरूपी लेखक

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-7, No.-I, Issues-VIII YEAR- June-2017

वेद–पाठ, मंत्र आदि करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

मध्यकाल तक आते–आते स्त्रियों की दशा अत्यन्त दयनीय हो गयी। शिक्षा का प्रायः लोप हो गया। कन्या की आयु 8, 9 वर्ष होते ही विवाह किया जाने लगाा। विधवा व पुनर्विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया तथा पर्दा प्रथा आरम्भ हो गया। इस काल में नारी एक उपभोग की वस्तु बनकर रह गयी अतः इस काल में स्त्रियों की आर्थिक पराधीनता, कुलीन विवाह प्रथा, बहु–विवाह, बाल–विवाह, अशिक्षा और संयुक्त परिवार प्रणाली को ऐसा कारण माना गया जिससे नारियों की परिस्थिति में गिरावट आयी। अतः यह युग दलित महिलाओं के लिए 'अंधकार–युग' सिद्ध हुआ।

स्वतंत्रता से पूर्व अग्रेंजी शासन काल में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु अनेक प्रयास किये गये। 1829 में सती प्रथा निशेध अधिनियम, 1856 में हिन्दू–विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1937 में हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति विशयक अधिकार अधिनियम आदि इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास रहें हैं। धीरे–धीरे इस काल में महिलाओं की स्थिति में सुधार होना प्रारम्भ हो गया। यही वह काल है जब स्त्री–शिक्षा एवं रोजगार को मान्यता प्राप्त हुई।1

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सदियों से शोषित, दमित महिलाओं की दशा को समुन्नत करने के उद्देष्य से संविधान में अनेक प्रावधानों की व्यवस्था की गई।

अनुच्छेद 15(1) में लिंग पर आधारित भेद–भाव का निशेध कर अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं के लिए विशेश उपबन्ध किया गया है। अनुच्छेद 15(ड.) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह ऐसी प्रथा का परित्याग करे। जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुँचाता है।

इसके अतिरिक्त स्त्रियों को मताधिकार व निर्वाचित होने का अधिकार देकर उन्हें शासन कार्यो में भागीदारी का अवसर भी प्रदान किया। इतना ही नहीं, सरकार ने समय–समय पर अनेक अधिनियम बनाकर स्त्रियों के विरूद्ध होने वाले भेदभाव व अत्याचार को समाप्त करने का प्रयत्न किया है जिसमें हिन्दू विधि, शारदा एक्ट, दहेज विरोधी अधिनियम आदि पास करके समाज में व्याप्त स्त्री–विरोधी प्रथाओं पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है।

संवैधानिक संरक्षण के बावजूद लिंग व जाति भेद की समस्याएं एवं उनसे उत्पन्न अत्याचारों की कभी न थमने वाली श्रृखंलायें हमारे समाज के फलक पर परिलक्षित होती हैं।

वास्तविकता तो यह है कि दलित महिलाओं के शोषण की वजह उनको विरासत में मिली धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिस्थितियाँ, शिक्षा का अभाव, निर्धनता आदि है। शिक्षा के अभाव में दलित महिलायें आज अपने अपेक्षित लाभ से वंचित रह जाती हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि दलित महिलाओं के उत्थान, कल्याण एवं उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में गहन मंथन कर कारगर उपाय किया जाना चाहिए।

दलित महिलाओं के विकास के लिए शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना अति आवश्यक था। इसका एक मात्र समाधान आरक्षण को माना गया। महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा 1985–86 में उठा उसी वर्श केन्या के नेरोबी में एक राश्ट्रीय दस्तावेज पेश किया गया जिसमें महिलाओं के विकास का समुचित प्रबन्ध किया गया। इस दस्तावेज को 'नेशनल परस्पेक्टिव प्लान' के नाम से जाना जाता है। आन्ध्र प्रदेश में 1986 के विधेयक द्वारा महिलाओं के लिए जिला परिशद् एवं मण्डल परिषद् के अध्यक्ष पद के लिए 9 प्रतिशत आरक्षण रखा गया था। 1988 में महिलाओं के लिए राश्ट्रीय योजना का गांव से जिला स्तर तक की विभिन्न संस्थाओं में 36 प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसा दी गयी थी। भारत में पंचायतों का अस्तित्व बहुत पहले से है परन्तु सन् 1992 में सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है तथा यह अधिनियम मई 1993 से कार्य रूप में परिणत हुआ।

भारत के राजनीतिक इतिहास में यह पहला समय था जब स्थानीय स्वशासित संस्थाओं में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। यह संविधान संशोधन बलवंत राय मेहता समिति (1957) और अशोक मेहता समिति (1978) की सिफारिश थी कि निर्वाचित प्रतिनिधि तक ही शक्ति सीमित नही होनी। इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की।

समाजिक संरचना में परिवर्तन लाने में 73 वाँ संविधान संशोधन कारगर साबित हुआ। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसने स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से बड़े पैमाने पर राज्यों में चुनाव सम्पन्न हुए। जिसके परिणामस्वरूप महिला जगत को पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख पद पर आसीन होने का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गो ने भी पंचायती राज व्यवस्था में अपना स्थान बना लिया है।

"अनुच्छेद 243(डी) में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों लिए उनकी जनसंख्या

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-7, No.-I, Issues-VIII YEAR- June-2017

के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। ये सीटें चुनाव द्वारा सीधे भरी जाती हैं इनमें कम से कम एक तिहाई सीटों पर अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं का निर्वाचित होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुल सीटों में से भी एक अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित है। इन आरक्षणों का निर्णय राज्य विधान मण्डलों पर छोड़ दिया गया है"।

यह सत्य है कि आरक्षण से ही महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है यह सामाजिक बदलाव की दिशा में एक ठोस एवं सकारात्मक कदम है।

सारणी संख्या 2.24

पंचायतों का आरक्षण (नये प्रावधानों के अनुसार) 73वाँ संविधान संशोधन

पंचायत सदस्यों की कुल संख्या	22,50,000
(अनुमानतः 10 व्यक्ति प्रति पंचायत)	तीस लाख
महिला सदस्यों की कुल संख्या	7,50,000
(कुल सदस्यों का एक–तिहाई)	
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति	1,50,000
के सदस्यों की कुल जनसंख्या	
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति	50,000
की महिलाओं की कुल संख्या	
अध्यक्षों की कुल संख्या	2,25,000
महिला अध्यक्षों की कुल संख्या	75,000 / 80,000
(कुल अध्यक्षों का एक–तिहाई)	
अन्य पिछड़ी जातियों के अध्यक्षों की	50,000
कुल संख्या (पुरूश तथा महिलायें)	

सारणी संख्या 2.35

पंचायत समिति (मध्य स्तर)	
ब्लॉक समितियों की कुल संख्या	5,000
ब्लॉक समितियों के सदस्यों की कुल संख्या	51,000
(अनुमानतः 10 सदस्य प्रति व्यक्ति)	
ब्लॉक समिति की महिला सदस्यों की कुल संख्या	17,000
(कुल सीटों का एक–तिहाई)	
ब्लॉक समितियों के अध्यक्षों की कुल संख्या	5,100
ब्लॉक समितियों में महिला अध्यक्षों की कुल संख्या	1,700
(कुल अध्यक्ष पदों का एक–तिहाई)	

सारणी संख्या 2.46

जिला परिषद्	
भारत में जिला परिषदों की कुल संख्या	474
जिला परिषद् के कुल सदस्यों की संख्या	4,750
(औसतन 10 सदस्य प्रति जिला परिशद्)	
जिला परिशद् में महिला सदस्यों की कुल संख्य	1,583
(कुल सदस्यों का एक–तिहाई)	
जिला परिषद् के अध्यक्षो की कुल संख्या	474
जिला परिषद् के महिला अध्यक्षों की कुल संख्या	158
जिला परिषद् में अनुसूचित जाति / जनजाति के अध्यक्षें की संख्या	20 से 25

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14

73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आज भारी संख्या में दलित महिलाएँ पंचायतों में चुनकर तो आ रहीं हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाओं के नाम पर आज भी उनके पुरूष रिश्तेदार ही राजनीति करते हैं हांलाकि इस अधिनियम के जरिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है लेकिन इस वर्ग की महिलाओं की स्थिति में विशेष सुधार नही हो पाया है। आज भी पंचायतों में विभिन्न स्तरों से चुनाव जीतकर आयीं दलित महिलायें संविधान द्वारा दिये गये अपने अधिकारों का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग नही कर पा रहीं हैं। वे सत्ता में तो आ रहीं हैं परन्तु स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले पा रहीं हैं। आज भी वे पुरूशों के बल पर ही कुर्सी पर काबिज होती हैं और उन्हीं के दिशा–निर्देशों पर कार्य करने को बाध्य होती हैं।

पंचायतों के संदर्भ में किये गये विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से दलित महिला प्रतिनिधियों की स्थिति का अध्ययन किया गया हैं जिसमें हरियाणा की महिला सरपंचों ने बताया कि न तो वे वोट मांगने गई और न ही चुनाव प्रचार किया उनके लिए ये सब कार्य उनके घर वाले, पति व ससुर ने किया तथा तथा उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया जब तक चुनाव परिणाम नहीं निकल जाते।

इस तरह के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहाँ कई स्थानों पर महिलाओं को उनके पतियों ने चुनाव नही लड़ने दिया। साथ ही, ऊँची जाति के दबंग लोगों ने नीची जाति की महिलाओं से शादी सिर्फ इसलिए की, ताकि उनके जरिये वे अपना वर्चस्व कायम रख सके।

हमारे देश में महिलाओं के साथ एक अलग समस्या घूंघट की रही है। इस कारण महिलायें घर के भीतर ही रहती हैं और यदि घर से बाहर निकलती भी हैं तो पर्दे में ही रहती हैं जिससे उनको अपना कार्य करने में मुश्किलें आ रही थीं।

इसी प्रकार यूनिसेफ द्वारा मध्य प्रदेश में आयोजित एक प्रशिक्षण शिविर में घूंघट की समस्या महिला एवं प्रशिक्षक के मध्य आई। घूंघट के कारण न तो वे ब्लैक बोर्ड और न ही टी0 वी0 को भली–भाँति देख पाती थीं। पंचायत कर्मचारियों से भी पर्दे के कारण बहस के दौरान अपनी बात अच्छी तरह से न तो बता पाती थीं और न ही उनकी बात अच्छी तरह सुन पाती थीं। पर्दा वास्तव में महिलाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है।

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इन महिला पंचायत प्रतिनिधियों के सामने अनेक सामाजिक व आर्थिक चुनौतियाँ उनके मार्ग में बाधा बनकर खड़ी है।

जहाँ एक ओर दलित महिलायें सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहीं हैं वहीं दूसरी ओर पंचायतों ने इन महिला प्रतिनिधियों की छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करने का कार्य किया है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पंचायतों ने दलित महिलाओं व उनके परिवारों के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने का जो प्रयास किया है इन महिलाओं को अधिक प्रभावी ढंग से स्थानीय प्रशासन में भागीदार बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्रा सरस्वती–1966 "भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति" शारदा पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ0 5–23.
2. गौड़ घोश एण्ड शर्मा, रिव्यु ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इण्डिया, फिफ्टी ईयर ऑफ पंचायती राज, माणक पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1998, पृ0 27.
3. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243(डी) के अन्तर्गत।
4. प्रोसिडिंग ऑफ नेशनल वर्कशॉप आन पंचायती राज, राजीव गांधी फाउण्डेशन, मई 1993, नई दिल्ली, पृ0 9.
5. पूर्वोक्त पृश्ठ संख्या 10.
6. पूर्वोक्त पृश्ठ संख्या 11.

*****

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14